संख्या–1/8/2001– का–4–2002

प्रेषक,

डा0 हरि कृष्ण,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवामें,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग–4, लखनऊ : दिनॉक : अप्रैल 12 ,2002

विषय:– वैभागिक सिविल सेवा बोर्ड के गठन के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, समसंख्यक शासनादेश दिनॉक 24 दिसम्बर, 2001 के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं एवं उनकी फीडर सेवाओं के सेवा संबंधी प्रकरणों के निस्तारण हेतु सिविल सेवा बोर्ड का गठन किया गया है । इस संबंध में जारी किये गये शासनादेश संख्या–1/8/2001–का–4–2001, दिनॉक 24 दिसम्बर, 2001 की प्रति संलग्न है ।

2. उपर्युक्त के संबंध में आपसे यह अनुरोध करने का मुझे निदेश हुआ है, कि अपने नियंत्रणाधीन विभागों के अधिकारियों के स्थानान्तरण एवं अन्य सेवा संबंधी प्रकरणों के निस्तारण हेतु वैभागिक सिविल सेवा बोर्ड का तत्काल गठन करते हुए, उससे कार्मिक विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें ।

संलग्नक:– यथोपरि ।

भवदीय,

(हरि कृष्ण)
सचिव ।